समक्ष : श्रीमान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महोदय, दुर्ग (म0प्र0)

मध्य प्रदेश शासन,

// विरुद्ध //

चन्द्रकांत शाह एवं अन्य, ---- अभियुक्तगण,

से0 प्र0 क्र0 :- 233/92

कृष्ण कुमार आ0 उधवा राव, उम्र-42 वर्ष,
निवासी कैम्प-1, क्वा0नं0-7 सी, ब्लाक-एल0सी0,
जिला-दुर्ग, बी0एस0पी0 में ई0एम0डी0 आपरेटर के पद पर कार्यरत हूं ।

--- शपथकर्ता,

-:: शपथ - पत्र ::-

मैं कृष्णकुमार आ0 उधवा राव, निवासी कैम्प-1, भिलाई, शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता हूं :-

(1) यह कि स्व0 का0 श्री शंकर गुहा नियोगी की हत्या के सम्बन्ध में सी0बी0आई0 अधिकारी ने मेरा बयान लेकर मुझे उपरोक्त प्रकरण में शासकीय गवाह बनाया था ।

(2) यह कि माननीय श्री राजपूत साहब, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दुर्ग के न्यायालय में उपरोक्त प्रकरण में दिनांक 20-4-95 को मेरा बयान दर्ज हुआ है और प्रतिपरीक्षण हो गया है ।

(3) यह कि दिनांक 20-4-95 को ही अभियुक्त अवध सिंह, गोविन्द नंदा उनके 8-10 (आठ-दस) साथियों को लेकर मेरे घर आ धमके एवं मुझे धमकी देते हुए कहा कि भाऊ तुमने कोर्ट में हमारे साथियों के खिलाफ गवाही देकर अच्छा नहीं किया । तुम्हारे बयान से हमारे [illegible] सजा मिलेगी । तुम बयान बदल दो अन्यथा तुम और तुम्हारे परिवार का अंजाम भी नियोगी के समान ही होगा ।

(4) यह कि दिनांक 24-4-95 को अभियुक्त अवधसिंह, एवं उनके

साथी गोविन्द आठ-दस लोगों को लेकर पुनः मेरे घर पर आकर बोले "कि हमारे वकील से मिलकर एफिडेविट कोर्ट में देकर बयान बदल दो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारे बच्चों को उठवा लेंगे, तुम्हें जान से मार डालेंगे"।

(5) यह कि अभियुक्त एवं उनके साथी लगातार मुझे डरा-धमका रहे हैं, तथा दबाव डाल रहे हैं कि जिससे मैं काफी भयभीत हो गया हूं।

(6) यह कि मुझे समय-बेसमय ड्यूटी जाना पड़ता है। मेरा परिवार अकेला रहता है। अभियुक्त एवं उनके साथियों के पास अवैध हथियार भी हैं कभी भी कुछ भी घटना हो सकती है। मैं अत्यधिक भयभीत हूं मैं अपना घर छोड़कर अन्यत्र जगह रहने के लिए मजबूर हो चुका हूं। मेरी एवं मेरे परिवार की हत्या होने की संभावना है।

(7) यह कि मैंने उपरोक्त बातों की लिखित शिकायत रजिस्ट्री [illegible] उच्चाधिकारी/संबंधित विभागों में की है तथा मेरी जान की रक्षा के लिये प्रार्थना की है। उक्त शिकायत के समर्थन में यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

(शपथ कर्ता)

सत्यापन :-

मैं कृष्णकुमार आ0 ब उध्वा राव शपथकर्ता, सत्यापित करता हूं कि शपथ पत्र की कंडिका क्र0-1 से 7 तक [illegible] मेरी जानकारी एवं विश्वास से सही व सत्य है। अतः आज दिनांक [illegible] को दुर्ग में सत्यापित किया है।

दुर्ग, दिनांक :-

(शपथ कर्ता)

13 MAY 1995

NOTARY

प्रति,

श्रीमान ए.डी.जे.जे.के.एस. राजपूत,
न्यायालय दुर्ग (म0प्र0)

विषय :- मेरे और मेरे जानमाल की रक्षा करने बाबत् ।

महोदय,

निवेदन है कि मैं कैम्प -1 भिलाई क्वा.नं. -7/सी. ब्लाक एल. सी. में रहता हूँ । तथा बी.एस.पी.का एक छोटा कर्मचारी हूँ

स्वर्गीय श्री शंकरगुहा नियोगी हत्या काण्ड के सिलसिले में सी. बी.आई. अधिकारी द्वारा मेरा बयान लिया गया था । उक्त केस में दिनांक 20/4/95 को श्रीमान जे.के.एस. राजपूत के अदालत में मेरी गवाही हो गई थी । दिनांक 20/4/95 को उक्त मामले से संबंधित श्री अभयसिंग और गोविंद अपने आठ,दस साथियों के साथ मेरे घर आ धमके और मुझे धमकाते हुए बोले कि भाऊ तूने कोर्ट में हमारे साथियों के खिलाफ गवाही दिया । वो तुमने अच्छा नहीं किया । वो हमारे छूटने वाले साथी को तुम्हारे बयान से सजा हो जायेगी । वो तुमने अच्छा नहीं किया । तुमने बयान देकर अच्छा नहीं किया देखो हैं तुम कैसे सुरक्षित रह पाते हो । तुम अपना बयान कोर्ट में जाकर बदल दो । नहीं तो तुम और तुम्हारे परिवार का अंजाम भी नियोगी जैसा होगा ।

मेरे द्वारा अभयसिंग और उसके साथियों को निवेदन कर बताया कि, मैं जितना जानता था उतना ही कोर्ट में बताया हूँ । मेरा बयान हो गया है मैं कुछ नहीं कर सकता दिनांक 24.4.95 को अभयसिंग और उसके साथी गोविन्द और आठ, दस लोगों के साथ पुनः आकर धमकाया । कि तुम हमारे वकील से मिलकर एफिडेविट कोर्ट में बयान बदल दो । नहीं तो तुम्हारी खेर नहीं । बच्चों को उठवा लेंगे । तुम्हे जाने से खत्म कर देंगे । कहकर मुझे लगातार डरा-धमका रहे हैं ।

मैं एक गरीब छोटा सा कर्मचारी, अभयसिंग और उसके साथियों के लगातार आकर दबाव डालने से काफी भयभीत हो चुका हूँ । उनके हाथ अवैध हथियार रहता है । मुझे समय - बे समय ड्यूटि जाना पड़ता है । मेरा परिवार अकेला घर में रहता है । इन लोगों से मुझे तथा मेरे परिवार को एवम् घर-द्वार को कभी भी क्षतिग्रस्त होने की संभावना है । अब ये लोग आये दिन मेरे घर आकर दबाव डाल रहे हैं और एफीडेविट में मैं दस्तखत कर दो, जिससे हमारे आदमी छूट जायेंगे । ऐसा कहते हैं ।

मैं इन लोगों से इतना आतंकित हो चुका हूँ कि मैं अपना मकान छोड़कर कहीं अन्यत्र रह रहा हूँ। मे और मेरे परिवार का जीवन अस्तव्यस्त हो गया है। श्रीमान जी से० मैं पुलिस प्रशासन और न्यायालय से तथा प्रशासन से करबद्ध विनती करता हूँ, मुझे इन लोगों के चंगुल से छुड़ाया जाय और मैं और मेरे परिवार की जानमाल की रक्षा की जाय। यदि प्रशासन और न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं दिया गया तो मैं और मेरे परिवार के साथ होने वाली दुर्घटना की जिम्मेंदारी शासन की होगी।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि मेरे आवेदन पर कार्यवाही की जावे और मेरे जान माल की रक्षा की जावे।

दिनांक :

प्रार्थी

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान् ए. डी. जे. (जे. के. एस. राजपूत)
   न्यायालय दुर्ग।
2. श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक महोदय,
   भिलाई, दुर्ग।
3. श्रीमान् पुलिस अधिक्षक महोदय,
   दुर्ग।
4. सी. बी. आई., डी. आई. जी. महोदय,
   दिल्ली।
5. सत्यदेव कटारे,
   गृह मंत्री, म० प्र० शासन, भोपाल।
6. श्रीमान् बसंत प्रताप सिंह,
   कलेक्टर, दुर्ग
7. श्रीमान् थाना-प्रभारी महोदय,
   छावनी - थाना।
8. श्रीमान् जनकलाल ठाकुर (विधायक महोदय)
   छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, भिलाई कार्यालय।

प्रति,

विषय :- मेरे और मेरे जानमाल की रक्षा करने बाबत् ।

महोदय,

निवेदन है कि मैं कैम्प -1 भिलाई क्वा.नं. -7/सी. ब्लाक एम. सी. में रहता हूं । तथा बी.एस.पी. का एक छोटा कर्मचारी हूं

स्वर्गीय श्री शंकरगुहा नियोगी हत्या काण्ड के सिलसिले में सी. बी.आई. अधिकारी द्वारा मेरा बयान लिया गया था । उक्त केस में दिनांक 20/4/95 को श्रीमान जे.के.एस. राजपुत के अदालत में मेरी गवाही हो गई थी । दिनांक 20/4/95 को उक्त मामले से संबंधित श्री अभयसिंह और गोविंद अपने आठ, दस साथियों के साथ मेरे घर आ धमके और मुझे धमकाते हुए बोले कि भाऊ तूने कोर्ट में हमारे साथियों के खिलाफ गवाही दिया । यो तुमने अच्छा नहीं किया । जो हमारे छूटने वाले साथी को तुम्हारे बयान से सजा हो जायेगी । जो तुमने अच्छा नहीं किया । तुमने बयान देकर अच्छा नहीं किया देखते हैं तुम कैसे सुरक्षित रह पाते हो । तुम अपना बयान कोर्ट में जाकर बदल दो । नहीं तो तुम और तुम्हारे परिवार का अंजाम भी नियोगी जैसा होगा ।

मेरे द्वारा अभयसिंह और उसके साथियों को निवेदन कर बताया कि, मैं जितना जानता था उतना ही कोर्ट में बताया हूं । मेरा बयान हो गया है मैं कुछ नहीं कर सकता दिनांक 24.4.95 को अभयसिंह और उसके साथी गोविन्द और आठ, दस लोगों के साथ पुनः आकर धमकाया । कि तुम हमारे वकील से मिलकर एफिडेविट कोर्ट में बयान बदल दो । नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं । बच्चों को उठवा लेंगे । तुम्हे जान से खत्म कर देंगे । कहकर मुझे लगातार डरा-धमका रहे हैं ।

मैं एक गरीब छोटा सा कर्मचारी, अभयसिंह और उसके साथियों के लगातार आकर दबाव डालने से काफी भयभीत हो चुका हूं । उनके साथ अवैध हथियार रहता है । मुझे समय – बे समय ड्यूटि जाना पड़ता है । मेरा परिवार अकेला घर में रहता है । इन लोगों से मुझे तथा मेरे परिवार को एवम् घर-द्वार को कभी भी क्षतिग्रस्त होने की संभावना है । अब ये लोग आये दिन मेरे घर आकर दबाव डाल रहे हैं और एफीडेविट में मैं दस्तखत कर दो, जिससे हमारे आदमी छूट जायेंगे । ऐसा कहते हैं ।

क्रमशः.....2

मैं इन लोगों से इतना आतंकित हो चुका हूँ कि मैं अपना मकान छोड़कर कहीं अन्यत्र रह रहा हूँ और मैं और मेरे परिवार का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है । श्रीमान जी से मैं पुलिस प्रशासन और न्यायालय से तथा प्रशासन से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इन लोगों के चुंगुल से छुड़ाया जाय । और मैं और मेरे परिवार की जान माल की रक्षा की जाय । यदि प्रशासन के और न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं दिया गया तो । मैं और मेरे परिवार के साथ होने वाली दुर्घटना की जिम्मेदारी शासन की होगी । अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरे आवेदन पर जल्द से जल्द कार्यवाही की जावे । और मेरे जान माल की रक्षा की जावे ।

दिनांक : 29/4/95

प्रार्थी,

कृष्णा कुमार

श्री कृष्णा कुमार,

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान विरेन्द्र प्रताप सिंग जी,
   कलेक्टर महोदय दुर्ग ।
2. श्रीमान सी. बी. आई., डी. आई. जी. महोदय,
   दिल्ली ।
3. श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक भिलाई ।
4. श्रीमान सत्यदेव कटारे,
   गृहमंत्री मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
5. श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, छावनी ।
6. श्रीमान जनक ठाकुर विधायक महोदय ।
   छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, कार्यालय भिलाई ।